न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1
बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अचला आर्य**

दीवानी वाद संख्या : 44 / 2022

मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व0 लटूर लाल उर्फ लटूर
निवासी दरेशाह वाले बाबा का चौक, महावीर कॉलोनी,
नैनंवा रोड़, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या–1

विरूद्ध

अनीस पुत्र स्व0 लटूर लाल उर्फ लटूर
निवासी चारभुजा मंदिर, महादेव जी की गली, सदर बाजार, बून्दी
जिला बून्दी (राज0) –अप्रार्थी / वादी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित–

(1) श्री मोहम्मद शरीफ, अधिवक्ता–प्रार्थी / प्रतिवादी सं–1
(2) श्री लीलाधर सिंह, अधिवक्ता–अप्रार्थी / वादी
(3) श्री श्रीनाथ किशोर गुप्ता, अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या–2
(4) श्री राकेश रेबारी, अधिवक्ता–प्रातिवादी संख्या–3 लगायत 6
(5) राजकीय अभिभाषक–राज्य की ओर से

दिनांक : 29 सितम्बर, 2022

–: आ दे श :–

1. अप्रार्थी / वादी–अनीस द्वारा वास्ते विभाजन एवं पंजीकृत तथाकथित / अवैध वसीयतनामा दिनांक 04.02.2008 को निरस्त किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किये गये वाद–पत्र में जवाब–दावा की अवस्था पर प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या–1 मोहम्मद हनीफ द्वारा आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन–पत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी ने जो वाद पत्र पेश किया है 'वाद पत्र का आधार बाद मे विवादित सम्पति को पैतृक सम्पति होना प्रकट करते हुये वाद में सहायता की मांग की है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का कोई कानून नही है। वादी ने अपने वाद पत्र में जो तथ्य प्रकट किये हैं उससे भी यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि विवादित सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता श्री लटूर लाल की व्यक्तिगत सम्पति है, प्रतिवादी के पिता द्वारा अर्जित सम्पति दुकान

संख्या 44 को जरीये पंजीकृत प्रतिवादी संख्या–1 के हक में एक वसीयत नामा निष्पादित किया है जिसका पंजीयन दिनांक 04.02.2008 को हुआ है, वसीयत नामा के निष्पादन मे तारीख 31.01.2008 अंकित है। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता का इन्तकाल दिनांक 13.05.2018 को हो चुका है प्रतिवादी संख्या–1 के पिता का देहान्त होने के साथ ही दुकान संख्या 44 का स्वामी प्रतिवादी संख्या–1 मोहम्मद हनीफ हो गया है। स्वामी के रूप में मोहम्मद हनीफ वसीयत में प्राप्त सम्पति का मालिक है और उसी रूप में काबिज है। जिस सम्पति को मोहम्मद हनीफ के पिता श्री लटूरलाल ने मोहम्मद हनीफ के हक में वसीयत की है एवं उसका पंजीयन करवाया है ऐसी परिस्थिति में दुकान संख्या 44 की सम्पति के बाबत वादी को दावा लाने का कोई अधिकार ही नहीं है, न ही इस सम्पति के सम्बन्ध में वादी को कोई कानूनी अधिकार हैं। मोहम्मद हनीफ के पिता श्री लटूरलाल जी ने अपने जीवनकाल में अपने द्वारा निष्पादित वसीयत व पंजीयन को निरस्त करवाने बाबत कोई कार्यवाही नही की है। पंजीकृत वसीयत पंजीकृत दस्तावेज से ही कानूनी रूप से निरस्त हो सकती है। जिन तथ्यो का अंकन वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किया है उसके आधार वादी का दावा प्रकटतया ही अवधि में नहीं है। वादी ने जो अभिवचन वाद पत्र में अंकित किये है उसके आधार पर वादी को दुकान संख्या 44 के बाबत कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने जो अभिवचन अपने वाद पत्र मे किये है उस अनुसार वाद का मूल्याकन नहीं किया है। दुकान संख्या 44 का स्वामी प्रतिवादी मोहम्मद हनीफ है और स्वामी के रूप में कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में वाद का मूल्याकंन दुकान संख्या 44 की कीमत पर किया जाना आवश्यक है उसी अनुरूप कोर्टफीस देय है। वादी ने पंजीकृत वसीयत नामा को निरस्त करने की मांग की है इसलिये वसीयत नामे में जिस सम्पति का अंकन किया है उसकी कीमत पर वादी द्वारा कोर्टफीस देय है । वाद पत्र मे घोषणा के सम्बन्ध में अंकन किया है लेकिन यह अंकन नही किया है कि वादी किस किस्म की घोषणा की 'मांग करता है । वाद में विवादित दुकान संख्या 44 का स्वामी मोहम्मद हनीफ प्रतिवादी सं–1 है ऐसी परिस्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद का मूल्याकंन सम्पति की कीमत पर किया जाना जरूरी है। वादी और वादी के साथियो ने प्रतिवादी सं–1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की दुकान संख्या 44 पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिस पर प्रतिवादी मोहम्मद हनीफ ने थाना कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज करवायी है। वादी ने जिन तथ्यो का अंकन वाद पत्र में किया है उससे यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि वादी के पिता ने जो वसीयत मोहम्मद हनीफ प्रतिवादी सं–1 के हक

में की है उसकी जानकारी तत्समय वादी को थी ।

2. अन्त में प्रतिवादी संख्या–1 मोहम्मद हनीफ द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुये वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 मोहम्मद हनीफ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित इबारत में विवादित सम्पत्ति पैतृक व स्वअर्जित होना प्रकट किया है जो कि इस स्टेज पर देखने योग्य नही हैं एवं यह विषय आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का विषय नहीं है, यह विषय तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है जो वाद में दोनो पक्षों की साक्ष्य से तय होना है। चरण संख्या 2 को अस्वीकार करते हुए दुकान संख्या 44 खाईलेण्ड मार्केट बून्दी के अलावा अन्य सम्पत्तियां संयुक्त अविभाजित पुश्तेनी सम्पत्तियां है, यह विषय भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का नहीं हैं, उक्त विषय बाद साक्ष्य तय होना है। चरण संख्या 3 में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 31.01.2008 का दस्तावेज के अनुसार होना स्वीकार किया लेकिन उक्त वसीयतनामा मुस्लिम विधि के अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज होना क्योंकि वादी के पिता लटूर लाल उर्फ लटूर भाई को अपनी उक्त दुकान संख्या 44 को 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत करने का मुसलिम विधि के अनुसार अधिकार नही हैं इस कारण उक्त वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या पत्रावली कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है, यह विषय भी दोनो पक्षों की साक्ष्य से तय होना है। चरण संख्या 4 में वादी के पिता लदूर लाल का देहान्त दिनांक 13.05.2018 को होना स्वीकार करते हुए शेष तथ्यों को अस्वीकार किया तथा अंकित किया कि चूंकि वसीयतनामा दिनांक 31.01.2008 सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत होने से प्रभाव शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता हैं एवं उक्त वसीयत के बाबत वसीयत के समय व उसके बाद लटूर भाई के अन्य पुत्र व वारिसान की सहमति नहीं ली गई है। एवं उक्त दुकान संख्या 44 खाईलेण्ड मार्केट बून्दी पर वादी काबिज चला आ रहा है एवं अपने कपडे का व्यवसाय करता चला आ रहा हैं। उक्त विषय भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का विषय नही है। चरण संख्या 5 को अस्वीकार करते हुए वसीयत का पंजीयन होना स्वीकार किया किन्तु उक्त वसीयत मुसलिम विधि के अनुसार अवैध वसीयत होने से प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वसीयत के आधार पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते हैं। चरण संख्या 6 को अस्वीकार करते हुए वादी लटूर का जाइन्दा पुत्र व वारिस होने से उक्त वसीयत को अवैध व शून्य व निरस्त

करवाने का अधिकार रखता है। चरण संख्या 7 को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद अवधि मध्य पेश है। चरण संख्या 8 को अस्वीकार करते हुए वादी द्वारा अपने वाद पत्र की चरण संख्या 8 में उक्त वाद हेतु किस प्रकार से वाद कारण उत्पन्न हुआ है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया हैं। चरण संख्या 9 को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 9 में विधि अनुसार वाद का मूल्यांकन किया हैं एवं विधि अनुसार कोर्ट फीस पेश की हैं। चूंकि उक्त वाद बंटवारा का होने के कारण धारा 35(2) राजस्थान कोर्टफीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के तहत 200/–रूपये न्याय शुल्क व घोषणा के लिए 25/–रुपये पर न्याय शुल्क वाद में प्रस्तुत किया हैं। वादी दुकान संख्या 44 पर व मकान पर काबिज हैं इस कारण उचित न्याय शुल्क पेश की है। चरण संख्या 10 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, वादी ने उक्त तथाकथित वसीयतनामा को वादी के विरुद्ध निष्प्रभावी अवैध घोषित किया जाकर निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है इस कारण घोषणा के बाबत उचित कोर्टफीस पेश की हैं। चरण संख्या 11 में वर्णित इबारत को अस्वीकार किया तथा अंकित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 4 में उक्त वसीयतनामा दिनांक 04.02.2008 को अवैध व शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। जिसका वर्णन किया हैं। चरण संख्या 12 को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि दुकान संख्या 44 खाईलेण्ड मार्केट, बून्दी पर वादी काबिज हैं एवं वादी कपडे की दुकान लगाता है। प्रतिवादी संख्या–1 का उक्त दुकान पर किसी भी रूप में मालिकाना हक व अधिकार नही है। वसीयत मुस्लिम विधि के विपरीत होने से कोई अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नही होता हैं। चरण संख्या 13 में वर्णित इबारत में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 306/2022 दर्ज होना स्वीकार किया तथा अंकित किया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर झूठी दर्ज करवाई गई है। जबकि वादी की दुकान पर प्रतिवादी व उसके परिवारजन ने आकर जबरन ताला तोड़ने की कोशिश की एवं लडाई झगडा करने की कोशिश की जिसके विरुद्ध वादी ने थाना कोतवाली बून्दी व पुलिस अधीक्षक बून्दी को रिपोर्ट पेश की थी।

4. विशेष कथनों में अंकित किया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या–1 ने ऐसे तथ्यों व ऐसे विषय के आधार पर पेश किया हैं जो विषय आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं बल्कि सभी विषय दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तय होने वाले विषय है एवं तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त प्रार्थना पत्र

विधि अनुसार पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र वादी के वाद में देरी करने की नियत से जवाब दावा में अंकित होने वाले अभिवचनों के आधार पर पेश किया हैं जो आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं आने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. अन्त में प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किया जावे।

6. प्रतिवादी संख्या–2 मोहम्मद भाई ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब इन तथ्यों के साथ पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 असत्य तथ्यों के आधार पर भ्रम पैदा करने के लिए अंकित की गयी है पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत अथवा उत्तराधिकार से सम्बन्धित वाद है जिसका मुस्लिम विधि में कोई अपवर्जन नहीं है। चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य इस प्रार्थनापत्र के निस्तारण के लिए आवश्यक नही है। चरण संख्या 3 में दुकान संख्या 44 लटूर लाल उर्फ लटूर भाई ने नीलामी में खरीदी थी किन्तु उक्त नीलामी में जो राशि लगी है उसमें प्रतिवादी संख्या 2 की भी राशि लगी हुयी है। श्री लटूर लाल जीवनपर्यन्त प्रतिवादी संख्या– 2 के साथ ही रहे है। इस चरण में किसी कथित वसीयतनामे के सम्बन्ध में प्रतिवाद पत्र एंव अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी संख्या– 2 द्वारा अंकन किया जावेगा। चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है उन तथ्यो का निस्तारण साक्ष्य के पश्चात मूल वाद में होगा। प्रतिवादी संख्या–1 बिना साक्ष्य के आधार पर इस चरण में अंकित तथ्य को निर्धारण कराना चाहता है जो विधि सम्मत नहीं है। चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य आधारहीन होने से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा कथित वसीयतनामे की वैधानिकता का निर्धारण साक्ष्य के पश्चात मूल वाद में होगा न कि वर्तमान स्थिति में कानूनी अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है । चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 का प्रतिवाद पत्र आना, काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होना अथवा अलग से वाद प्रस्तुत होना अभी भविष्य की बात है। वाद पत्र के अंकन से सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या–2 का उक्त लटूरलाल की मृत्यु के पश्चात जो हिस्सा बनता है उसका निर्धारण साक्ष्य के पश्चात ही होगा। चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य आधारहीन होने से अस्वीकार है, जो कथित वसीयतनामा प्रस्तुत हुआ है उसे वसीयत नहीं कहा जा सकता है बल्कि संविदा का प्रारूप है। वसीयतनामे की वैधानिकता का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य के पश्चात ही होगा। चूंकि वसीयतनामे

की जानकारी न तो प्रतिवादी संख्या– 2 को रही है और न ही प्रतिवादी संख्या–1 को पूर्व में रही है। इस कारण जानकारी की तिथि से अवधि की गणना होगी । प्रतिवादी संख्या–2 ऐसे किसी दस्तावेज का पक्षकार नहीं रहा है।चरण संख्या 8 जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है, प्रतिवादी संख्या–2 का सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्ति मे सह स्वामित्व है।चरण संख्या 9 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य एंव आधारहीन है, चरण में अंकित तथ्यो का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर ही हो सकता है। यदि मूल्यांकन बाबत विनिश्चिय होता है तो उसमें वादी के हिस्से की सीमा तक मूल्यांकन के आधार पर न्याय शुल्क जमा करवाये जाने का आदेश दिया जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या' 2 के लिये भी किया जा सकता है।चरण संख्या 10 में वर्णित तथ्यो का उत्तर पूर्ववर्ती चरण में दिया जा चुका है। वाद में जिस प्रकार मूल्यांकन किया या है उस प्रकार न्याय शुल्क दिया गया है। अन्य किसी भी आपत्ति के सम्बन्ध में विवाद्यक कायम होगा एंव उसका निर्धारण होगा किन्तु आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। चरण संख्या 11 को अस्वीकार करते हुए उसमें अंकित तथ्य बाबत निवेदन किया कि घोषणा बाबत सम्पूर्ण वाद पत्र के सम्बन्ध में विचार होगा एंव वादपत्र से किस बाबत घोषणा चाही गयी हैयह पूर्णतया स्पष्ट है। चरण संख्या 12 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, वाद में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत मूल्यांकन कर उस पर न्याय शुल्क चुकाया गया है। चरण संख्या 13 में वर्णित तथ्य अस्वीकार करते हुए वाद में अंकित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर मृतक लटूर भाई के पश्चात उनके पुत्र एवं पुत्रियों का हिस्सा अनुसार कब्जा एंव अधिकार है। मृतक लटूर भाई ने अपने जीवनकाल में दुकान संख्या 44 को सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय करने हेतु वादी अनीस भाई को दी हुयी थी लेकिन इससे प्रतिवादी संख्या–2 के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। प्रतिवादी संख्या–2 को एक अन्य दुकान सुविधा की दृष्टि से दी हुयी थी जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 का कब्जा है एंव उसमें प्रतिवादी संख्या–2 का ठेला एंव व्यवसाय हेतु कपडे रखे हुये है । चरण संख्या 14 में वर्णित तथ्य अस्वीकार करते हुए आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या–1 बिना साक्ष्य के यह निर्धारित नहीं करवा सकता कि वसीयतनामा की जानकारी वादी अथवा प्रतिवादी संख्या–2 व अन्य पक्षकार प्रतिवादी संख्या– 3 लगायत 6 को हैं । अन्त में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने और प्रतिवादी संख्या–2 को उसका हिस्सा बंटवारा कर पृथक से दिलाये जाने का निवेदन किया।

7. प्रतिवादी संख्या–7 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इन तथ्यों के आधार

पर पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 ए में अंकित दुकान को होना स्वीकार किया जिसकी लीज डीड दिनांक 23.01.2008 तथा नगरपालिका, बून्दी द्वारा जारी की गई जिसका पंजीयन पंजीयक कार्यालय, बून्दी के यहॉ दिनांक 25.01.2008 को पंजीबद्ध होना स्वीकार करते हुए शेष तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र की शेष चरणों को भी अस्वीकार किया गया।

8. प्रतिवादी संख्या–1/प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वादी ने विवादित सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानते हुए दावा पेश किया है जबकि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति का कोई कानून नहीं है और वैसे भी वादी ने अपने दावे में ही यह अंकित किया है कि वादी और प्रतिवादीगण के पिता लटूर लाल की स्व अर्जित सम्पत्ति थी। वादी और प्रतिवादी के पिता द्वारा विवादित दुकान नम्बर–44 को जरिये वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या–1 के हक में निष्पादित हुआ है जिसका पंजीयन दिनांक 04.02.2008 को हुआ है और लटूर लाल का देहान्त दिनांक 13.05.2018 को हो चुका है और उनके देहान्त के बाद दुकान नम्बर–44 का मालिक मोहम्मद हनीफ हो गया है। वादी को कोई अधिकार नहीं है कि वह उनके पिता द्वारा किये गये किसी भी बेचान, ट्रांसफर के सम्बन्ध में आपत्ति उठाये क्योंकि उनका उनके पिता को सम्पत्ति में पूरा अधिकार होता है कि वे बेचान या ट्रांसफर से किसी को भी सम्पत्ति अदा करे और वसीयत जो प्रतिवादी के सम्बन्ध में उनके पिता द्वारा की गई है वादी को कोई कानूनी अधिकार उस सम्पत्ति में नहीं रह गया है और मुस्लिम विधि के पद संख्या–118 के अनुसार सम्पत्ति से सम्बन्धित खर्चे समायोजन करने के पश्चात् जो सम्पत्ति शेष रहती है उस सम्पत्ति का 1/3 हिस्सा वह वसीयत कर सकता है और 1/3 हिस्से से अधिक कोई सम्पत्ति वसीयत की जाती है तो कानूनी प्रभाव में नहीं रहती है। मूल खातेदार जो वादी के पिता है, उनके देहान्त के उपरान्त उनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन होना आवश्यक है, मूल्यांकन के आधार पर ही 1/3 हिस्से की कीमत तक वसीयत की जा सकती है।

9. जिस सम्पत्ति का दावा पेश किया है उसका मूल्यांकन राजस्थान कोर्टफीस एवं सूट मूल्यांकन एक्ट की धारा 10 के अनुसार किया जाना आवश्यक है और वादी ने अपने वादपत्र में जिन सम्पत्तियों का जिक्र किया है उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया है। दुकान नम्बर–44 जिसके सम्बन्ध में वसीयत की गई है उसकी कीमत क्या है यह भी वादी ने अपने वादपत्र में अंकित नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में पिता की सम्पत्ति के 1/3 हिस्से की गणना नहीं की जा सकती है। यदि उनके पिता द्वारा 1/3 हिस्से से ज्यादा की की वसीयत की गई है तो

उसकी मान्यता नहीं रहती है। वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसका वह कानूनी स्वामी बन गया है जिसको बंटवारे में भी शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि किसी दस्तावेज की घोषणा का दावा भी लाया जाता है तो सम्पत्ति की बाजार मूल्य पर वाद का मूल्यांकन होता है और दुकान नमबर–44 की कीमत के बाबत् कोई मूल्यांकन नहीं किया है न ही कोर्टफीस अदा की है इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है। किसी दस्तावेज को निरस्त करने के लिये दस्तावेज की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर–अन्दर आना जरूरी है इसलिये दावा अवधि बाधित भी है। दिनांक 13.05.2018 को वादी के पिता का देहान्त हुआ है और घोषणा के लिये दावा 2022 में किया गया है, वादी ने दुकान संख्या–13अ पर प्रतिवादी का कब्जा बताया है और बंटवारे के वाद में वाद का मूल्यांकन पद संख्या–1 के अनुसार किया जाना चाहिए था। वादी ने बंटवारे के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अभिवचनों को भी अंकित नहीं किया है। वादी ने स्वंय ही अपने दावे में कौनसी सम्पत्ति किस–किस के कब्जे में है, बंटवारा होने सम्बन्धी कथन किया है और वादी के इस कथन को भी माना जाये तो वादी बंटवारा नहीं करा सकता क्योंकि पूर्व में ही बंटवारा हो गया है। वादी ने अपने दावे में दुकान संख्या–44 में अपना कब्जा होना बताया है जबकि यह बिल्कुल गलत है। वादी के पिता का देहान्त 2018 में हुआ है और 20 सालों से अपना कब्जा होना बता रहा है तो यह कथन ही अपने आप में असत्य हो जाता है। इस तरह से सही तथ्य वादी ने अपने वादपत्र में अंकित नहीं किये है और मुस्लिम विधि में विधि के उत्तराधिकार के अनुसार यदि पिता की मृत्यु के समय लड़की जीवित नहीं है तो लड़की के वारिसान को उत्तराधिकारी नहीं मानते फिर भी पक्षकार बनाया है।

10. प्रतिवादी संख्या–1/प्रार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है :–

1. **<u>मुस्लिम विधि सेक्शन–118</u>**

   एक मुस्लिम सम्पत्ति से सम्बन्धित खर्चे व ऋण आदि का पेमेन्ट करने के बाद सम्पत्ति का 1/3 हिस्से से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता, यदि वह 1/3 हिस्से से ज्यादा करता है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद यदि वारिस इस सम्बन्ध में सहमति दे देता है तो वह 1/3 हिस्से से ज्यादा वसीयत कर सकता है।

2. **राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 10**

वाद की विषय–प्रत्येक वाद में जिसमें वादपत्र पर इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस वाद की विष्ज्ञय वस्तु के बाजार मूल्य पर निर्भर है, वादी वादपत्र के साथ विहित प्ररूप में वाद की विष्ज्ञय वस्तु की विशिष्टियों का विवरण और उनका अपने द्वारा किया गया मूल्यांकन भी फाइल करेगा, सिवाय उस दशा के जबकि वादपत्र में ऐसी विशिष्टियॉ और मूल्यांकन अन्तर्विष्ट हों।

सेक्शन 35–

अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या साझे में है, कि विभाजन तथा हिस्से के पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसे ऐसी सम्पत्ति पर कब्जे से अपर्जित कर दिया गया है, दायर किये गये किसी वाद में फीस की संगणना सम्पत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जायेगी।

सेक्शन 38–

धन के लिए या ऐसी अन्य सम्पत्ति के लिए, जिसका धन के रूप में कोई मूल्य हो, किसी डिक्री के या अन्य दस्तावेज के, जो चाहे वर्तमान में या, भविष्य में किसी धन में या जंगम या स्थावर सम्पत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित समनुदेशित परिसीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित हो उसे प्रवर्तित करती हो, रद्दकरण के लिए किसी वाद में फीस, वाद की विषय वस्तु के मूल्य पर संगणित की जायेगी और ऐसा मूल्य निम्नलिखित समझा जायेगाः–

क. यदि सम्पूर्ण डिक्री या अन्य दस्तावेज का रद्दकरण चाहा गया हो तो वह रकम या सम्पत्ति का मूल्य जिसके लिए डिक्री पारित की गयी थी अथवा अन्य दस्तावेज निष्पादित की गयी थीए और

ख. यदि किसी डिक्री या अन्य दस्तावेज के किसी भाग का रद्दकरण चाहा गया है तो ऐसी रकम का या ऐसे सम्पत्ति के मूल्य का उतना भाग।

11. प्रतिवादी संख्या–1 / प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन

में निम्न न्यायिक विनिश्चय भी पेश किये गये है :–

1. 2014(2) आर.आर.टी.. 932
   स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम प्रेम कंवर व अन्य
   जिसमें विक्रय हेतु करार करार को परिबद्ध करने हेतु पेश किया गया था और दस्तावेज 01.03.1988 को निष्पादित किया गया था और 04.05.2010 को कलेक्टर को पेश किया गया था जिसमें 01.03.1988 को प्रचलित डी.एल.सी. दर लागू कर मूल्यांकन निर्धारित किया। राज्य द्वारा निगरानी करने पर राजस्थान टेक्स बोर्ड, अजमेर द्वारा निर्धारित किया गया कि सम्पत्ति का मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।
2. 2018 (2) डी.एन.जे. (राज0) 516
   इसलुद्दीन बनाम शांतिलाल सिंघवी व अन्य
   जिसमें निर्धारित किया गया था कि जहॉ प्रतिवादी द्वारा उसके स्वत्व अस्वीकार कर दिये गये हो तो कोर्टफीस से सम्बन्धित मामला धारा 26ए के अन्तर्गत आता है।
3. 2019 (2) सी.जे. (सिविल)(राज0) 987
   मेलड्रीड डिसिल्वा व अन्य बनाम नोईल डिसिल्वा व अन्य
   जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी ने कमी न्यायशुल्क का भुगतान नहीं किया है तो वह उसे वादपत्र का संशोधन करने तथा न्यून न्यायालय शुल्क की अदायगी का निर्देश देगा और इसमें यही निर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय को आगे कार्यवाही करने से पहले न्यायालय शुल्क का परिकलन करने का निर्देश दिया गया।

12. प्रतिवादी संख्या–2 के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई है कि दुकान नम्बर–44 जिसके सम्बन्ध में उनके पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के हक में वसीयत की है वह दुकान नीलामी में खरीदी थी जिसमें प्रतिवादी संख्या–2 की भी राशि लगी हुई है और प्रतिवादी संख्या–2 हमेशा लटूर लाल के साथ रहे है और वसीयतनामा की वैधानिकता का निर्धारण साक्ष्य के पश्चात् मूल वाद में होगा। समयावधि सम्बन्धी प्रश्न है वह भी मूल वाद में तय होगा। लटूर लाल की मृत्यु के पश्चात् विवादित सम्पत्ति में जितना हिस्सा जिनका बनता है वह भी साक्ष्य के बाद

निर्धारित होगा। मूल्यांकन के सम्बन्ध में तर्क किया कि न्यायालय जो भी आदेश देगा वह न्यायशुल्क वादी जमा करवायेगा और दुकान नम्बर–44 के सम्बन्ध में कहा है कि सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय करने के लिये वादी अनीस को दी गई है और प्रतिवादी संख्या–2 को एक अन्य दुकान दी गई है जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 का कब्जा है। इस तरह से दावे का निर्धारण बाद साक्ष्य ही तय हो पायेगा इसलिये आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

13. वादी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रतिवादी संख्या–1 ने पैतृक सम्पत्ति और स्व अर्जित सम्पत्ति के प्रश्न उठाये है तो वह आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. का प्रश्न नहीं है। दुकान नम्बर–44 के अलावा अन्य सम्पत्तियों सहित अविभाजिहत पुश्तैनी सम्पत्तियां हैं। वसीयतनामा दिनांक 31.01.2008 प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है क्योंकि मुस्लिम विधि में 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत करने का अधिकार नहीं है और वादी के पिता का देहान्त हो चुका है इसलिये सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत होने से दस्तावेज पूर्णतः शून्य है। प्रतिवादी संख्या–1 को उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है और वैसे भी यह विषय आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का नहीं है। चूंकि वसीयत ही अवैध है इसलिये वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलते है। वादी ने अपना दावा अवधि मध्य पेश किया है, कोर्टफीस भी विधि के अनुसार अदा की है क्योंकि दावा बंटवारे का है इसलिये 35(2) राजस्थान कोर्टफीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के तहत 200/– रूपये न्यायशुल्क और घोषणा के लिये 35/– रूपये पर न्यायशुल्क पर वाद पेश किया है। वादी स्वंय दुकान नम्बर–44 पर काबिज है इसलिये न्यायशुल्क उचित है और वैसे भी यह तथ्य विधि का मिश्रित प्रश्न है जो बाद साक्ष्य तय होना है। दुकान नम्बर–44 में वादी अपनी दुकान लगाता है इसलिये प्रतिवादी संख्या–1 को उस दुकान पर कोई हक व मालिकाना अधिकार नहीं है, जबरन ताला तोड़ने की कोशिश की है जिस पर उसने एस.पी., बून्दी को रिपोर्ट भी पेश की है और जो आधार प्रातिवादी द्वारा बताया गया है वह आधार आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में नहीं आते है, पूरा मामला साक्ष्य होने के बाद ही तय हो पायेगा।

14. साथ ही यह भी तर्क किया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. निर्णीत करते समय केवल वादी के ही अभिवचनों को देखा जायेगा और अवधि सम्बन्धी वाद कारण से सम्बन्धित प्रश्न है जो ऐसे प्रश्न है जो विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न है और आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

15. अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किये गये :–

1. ए.आई.आर. 1974 राजस्थान 69
शांतिलाल अग्रवाल बनाम श्रीमती रामाबाई व अन्य
इस न्यायिक विनिश्चय में बेटे ने एक दावा अपने पिता की वसीयत की वैधता को अवांछित प्रभाव और कपट के आधार पर चुनौती दी और दावा घोषणा के लिये किया गया था, निरस्त करने के लिये नहीं किया गया था इसलिये दावा जो निश्चित कोर्टफीस पर पेश किया गया था चलने योग्य माना और निर्धारित किया गया कि सेक्शन–38 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2. 2013(3) डी.एन.जे. (राज0) 1318
इस न्यायिक विनिश्चय में भी वसीयत को अवैध घोषित करने हेतु प्रतिवारीगण ने आपत्ति उठायी कि निश्चित न्यायशुल्क पर वाद पोषणीय नहीं है बल्कि न्यायशुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर देय है। आपत्ति इस आधार पर खारिज की गई कि अन्वर्तर्ती आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है और याची वाद की अंतिम सुनवाई के समय आपत्ति उठा सकता है।

3. आर.एल.डब्ल्यू. 1978 पेज 209
जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि वादी न तो डिक्री में पक्षकार है न ही सेलडीड में पक्षकार है तो कोर्टफीस सेक्शन–24ए के आधार पर देय होगी न कि सेक्शन–38 के आधार पर।

4. ए.आई.आर. 2003 एन.ओ.सी. 375 कर्नाटका पेज 155
श्रीमती मरियम्मा व अन्य बनाम एन.वी. श्रीनिवासा मुरथई व अन्य
जिसमें निर्धारित किया गया था कि समयावधि से सम्बन्धित प्रश्न विधि का प्योर प्रश्न नहीं है।

5. 2011 (2) डी.एन.जे. (राज0) 730
बाबूलाल व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान अजमेर व अन्य
2013 (3) डी.एन.जे. (राज0) 1219
विजयशंकर बनाम राम शर्मा व अन्य

दोनों ही न्यायिक विनिश्चय इस सम्बन्ध में है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन दायर किये जाने के प्रक्रम पर विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिये कि क्या वादपत्र में बताये गये तथ्यों के आधार पर न्यायालय को मामले के परीक्षण की अधिकारिता है और विचारण न्यायालय को और किसी अन्य समर्थित सामग्री को देखने की जरूरत नहीं है।

6. 2014 (1) डी.एन.जे. (राज0) 62
नाथूलाल बनाम गोविन्द अग्रवाल व अन्य
जिसमें भी यह निर्धारित किया गया था कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के खण्ड ए व डी में उल्लेखित आधारों पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता।

7. 2016 (1) डी.एन.जे. (राज0) 114
प्रदीप कुमार बिशनोई व अन्य बनाम अमनदीप व अन्य
इसमें भी यहीं माना कि वादी को वादपत्र पेश करने की श्रवणाधिकारिता है या नहीं और उसमें वाद कारण है या नहीं, यह तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है और मिश्रित प्रश्नों को निर्णीत करने हेतु साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।

16. वादी द्वारा पेश किया गया दावा वास्ते विभाजन एवं पंजीकृत तथाकथित / अवैध वसीयतनामा 04.02.2008 को निरस्त किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा सर्वप्रथम यह आपत्ति पेश की है कि वादी ने विवादित सम्पत्ति जिसमें दुकान नम्बर–44 खाईलेण्ड मार्केट, दुकान नम्बर– ई 38 इन्द्रा मार्केट, दुकान नम्बर ए–13 आजाद पार्क और मकान जो दो मंजिला बाईपास रोड़ पर होना बताया है, इन सम्पत्तियों का पैतृक सम्पत्ति होने के कारण इनका बंटवारा चाहा है और प्रतिवादी के अधिवक्ता का तर्क है कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति जैसा कोई कानून नहीं है जबकि स्वंय वादी ने अपने दावे में यह भी अंकित किया है कि वादी और प्रतिवादीगण के पिता लटूर लाल की स्व अर्जित सम्पत्ति थी तो विवादित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है या स्व अर्जित सम्पत्ति है इस सम्बन्ध में न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में तय नहीं करना और यह साक्ष्य से तय हो पायेगा और वैसे भी यह आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रश्न नहीं है।

17. दूसरी आपत्ति थी कि वादी और प्रतिवादीगण के पिता लटूर लाल द्वारा अपनी सम्पत्ति में से दुकान नम्बर–44 को प्रतिवादी के हक में वसीयत की है जो उनकी स्व अर्जित सम्पत्ति थी और मुस्लिम विधि में अपनी कुल सम्पत्ति में से 1/3 हिस्से तक की सम्पत्ति वसीयत कर सकते है, यदि उससे अधिक वसीयत की जाती है तो वह कानूनी प्रभाव में नहीं रहती है।

18. इस सम्बन्ध में न्यायालय के मत में यह विषय भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के किसी भी क्लॉज में नहीं आता है कि वसीयत लटूर लाल द्वारा 1/3 हिस्से से ज्यादा की गई है या कम की गई है या 1/3 हिस्से की कि गई है, यह भी साक्ष्य का प्रश्न है, इस प्रार्थना पत्र में यह भी तय नहीं होना है।

19. प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया था कि वादपत्र में जिन सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया था उनका मूल्यांकन राजस्थान कोर्टफीस व सूट मूल्यांकन की धारा 10 और 35 के अनुसार किया जाना चाहिए था और दुकान नम्बर–44 बाबत् भी कोई मूल्यांकन नहीं किया है न ही कोर्टफीस अदा की है। वैसे भी दस्तावेज को निरस्त होने के लिये घोषणा के लिये दावा लाया जाता है तो बाजार मूल्यांकन के आधार पर वाद का मूल्यांकन होता हैऔर इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा धारा 10, 35 व 38 की और ध्यान आकृर्षित किया है।

20. जबकि इस सम्बन्ध में वादी के अधिवक्ता का तर्क था कि सर्वप्रथम तो वसीयत में वादी पक्षकार नहीं है और वसीयत को अवैध, घोषणा कराने के लिये दावा पेश किया है इसके लिये सेक्शन–38 लागू नहीं होगा और चूंकि वादी ने संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से सम्बन्धित बंटवारे का दावा पेश किया है इसलिये धारा 35(2)राजस्थान कोर्टफीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के तहत 200/– रूपये न्यायशुल्क व घोषणा के लिये 35/– रूपये न्यायशुल्क पर ही दावा पेश होगा।

21. इस सम्बन्ध में जब दावे को देखते है तो दावा में जो अनुतोष चाहे है वे निम्न अनुतोष चाहे है :–

1. कि दावे की मद संख्या–1 में चल–अचल सम्पत्ति में से 1/4 हिस्सा वादी को दिलाया जावे।
2. पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 04.02.2008 जो प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में है, उसे निष्प्रभावी, अवैध घोषित कर निरस्त किया जावे।
3. दुकान नम्बर–44 जो कि वादी के कब्जे में है और मकान से

उसे बेदखल नहीं करे।

22. ए.आई.आर. 1974 राजस्थान 69 शांतिलाल अग्रवाल बनाम श्रीमती रामाबाई व अन्य में यहीं निर्धारित किया गया है कि जहॉ वसीयत को अवैध घोषित होने के लिये दावा किया जावे वहॉ धारा 38 लागू नहीं होती है।

23. आर.एल.डब्ल्यू 1978 पेज 209 मक्खन लाल बनाम अरबन इम्पावरमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर सीटी में भी यही निर्धारित किया है कि यदि किसी विक्रय पत्र या डिक्री में वादी पक्षकार नहीं है तो कोर्टफीस सेक्शन–38 के तहत देय नहीं होगी

24. इस वाद में भी वसीयत में वादी पक्षकार नहीं है तो यहॉ भी सेक्शन–38 के तहत कोर्टफीस देय नहीं होगी।

25. सेक्शन–35 राजस्थान कोर्ट फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 जिसमें अंकित है कि अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति अथवा संयुक्त या शामलाती स्वामित्व की सम्पत्ति के विभाजन और अंश के पृथक कब्जे के लिए, किसी वादी, जिसे ऐसी सम्पत्ति के कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है, के द्वारा वाद में फीस की संगणना सम्पत्ति के वादी के अंश के बाजारी मूल्य पर की जायेगी।

लेकिन वादी ने अपने दावे में यह कही अंकित नहीं किया है कि उसे दुकान से अपवर्जित कर दिया गया हो न ही उसने पुनः कब्जे के लिये दावा पेश किया है और दुकान नम्बर–44 को दावे के अनुसार अपने कब्जे में होना बताया है और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में केवल वादी के दावे को देखना है तो उसके अनुसार विवादित सम्पत्ति दुकान नम्बर–44 व मकान उसके कब्जे में है और सेक्शन 35(2) राजस्थान कोर्टफीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम में प्रावधान है कि अविभक्त कुटम्ब की सम्पत्ति अथवा संयुक्त या शामलाती सम्पत्ति के विभाजन और अंश के पृथक कब्जे के लिए, किसी वादी, जो ऐसी सम्पत्ति के संयुक्त कब्जे में है, के द्वारा वाद में, फीस का संदाय निम्नलिखित दरों पर किया जाएगाः–

(i) रूपये तीस यदि वादी के अंश का मूल्य 5,000/– रूपये या कम है,

(ii) रूपये एक सौ यदि मूल्य 5,000/– रूपये से अधिक किन्तु 10,000/– रूपये से अनधिक है और

(iii) रूपये दो सौ यदि ऐसा मूल्य 10,000/– रूपये से अधिक है।

26. वादी ने अपनी फीस का मूल्यांकन विभाजन के लिये जो दावा है उसके लिये 35 (3) (iii) राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अनुसार किया है, जो न्यायालय के मत में उचित है और वादी द्वारा पेश किया गया विनिश्चय भी इस सम्बन्ध में वादी को सहायता प्रदान करता है कि

विभाजन और घोषणा के लिये जो दावा है उसके लिये उसने उचित फीस पर दावा पेश किया है। वाद मूल्यांकन यदि कम किया है तो आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता।

27. अन्य तर्क प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में लिया गया है कि दावा अवधि में पेश नहीं किया है और कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वादी के पिता का देहान्त 13.05.2018 को हुआ है और वसीयत की घोषणा के लिये दावा 2022 में लाया गया है जो तीन वर्ष पश्चात् लाया गया है।

28. इस सम्बन्ध में वादी ने अपने दावे में समयावधि के सम्बन्ध में चरण संख्या–8 में वाद कारण भी अंकित किया है कि 20.07.2022 को वसीयत दिखाकर दुकान खाली करने की धमकी दी थी और 20.07.2022 को ही वसीयत के सम्बन्ध में जानकारी होने का कथन किया है तो उसे वसीयत की जानकारी पहले से थी या 20.07.2022 को हुई है, यह भी तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है, जो कि साक्ष्य के बाद ही निर्धारित किया जायेगा।

29. प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक विनिश्चय पेश किया है वह चस्पा नहीं होते है।

30. 2019 (2)सी.जे.(सिविल)(राज0) 987 पेश किया है इसमें यह है कि वादी द्वारा यदि न्यायशुल्क न्यायालय द्वारा निर्देश के बाद भी कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो दावा खारिज कर दिया जायेगा। यह न्यायिक विनिश्चय भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि यहॉ पर वादी द्वारा जो वादपत्र पेश किया है वह उचित न्यायशुल्क पर पेश किया गया है।

31. इस तरह से प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आ दे श</u>

7. फलतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या–1 मोहम्मद हनीफ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश I7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

(अचला आर्य)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1
बून्दी (राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1
बून्दी (राजस्थान)